

**पूर्वात्तर रेलवे
अधिसूचना**

रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं०.ई (एन०जी०) ११/२०१०/आरसी-४६ दिनांक २७-०९-२०१२, १७.१०.२०१४, ३१.०८.१५ एवं ०७-१०-२०१६ में निहित निर्देशों के आधार पर महाप्रबन्धक महोदय के अनुमोदनोपरांत निर्माण संगठन में सेवानिवृत्त कर्मचारियों से दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर निम्नलिखित पदों पर रीइंगेज करने का निर्णय लिया गया है:-

क्र०सं०	पदनाम	रिक्त पदों की सं०
१	एसएसई/जेड/कार्य	२०
२	एसएसई/झाड़ग	०५
३	एसएसई/पुल	०३
३	मुख्य कार्यधी	०४
४	वरिष्ठ लिपिक/लिपिक	०४
५	पीएस-११	०३
६	गोपनीय सहायक	१९
७	आशुलिपिक	३७
योग-		९५

अतः उपरोक्त पदों के विरुद्ध सेवानिवृत्त कर्मचारियों से रीइंगेज करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जिनकी शर्तें निम्नवत होगी:-

१. इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि १८-८-१७ को आवेदक की उम्र ६२वर्ष से कम होनी चाहिये।
२. चयनित कर्मचारियों का रीइंगेजमेंट का कार्यकाल उनकी आयु ६२वर्ष होने अथवा आर.आर.बी.से अभ्यर्थियों की नामिका प्राप्त होने से जो भी पहले होगी, तब तक मान्य होगी।
३. रीइंगेजमेंट के समय कर्मचारियों को चिकित्सीय रूप से फिट होना चाहिए।
४. रीइंगेजमेंट कर्मचारियों को दैनिक पारिश्रमिक व भत्ते, रेलवे बोर्ड के पत्र सं०.ई(एन०जी०) ११/२००७/आर सी-४/कार/१ नई दिल्ली दिनांक ११.१२.२००९ एवं समय समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों/शर्तों से शासित होंगे।
५. रीइंगेजमेंट किये गये भूतपूर्व कर्मचारियों की सेवा कभी भी बिना नोटिस समाप्त की जा सकती है।
६. अधिसूचना जारी करने की तिथि के पूर्व प्रेषित/प्राप्त आवेदन स्वतः निरस्त माने जायेंगे।
७. दैनिक पारिश्रमिक दर पर कार्य पर रखे जाने वाले इन मामलों के लिये अधिसूचना जारी करने पर प्रशासनिक निर्णय अन्तिम माना जायेगा।
८. वकाधि/निर्माण/गोरखपुर के कार्यालय में इसके लिये एक बाक्स भी रखा गया है, जिसमें भी आवेदन डाला जा सकता है। वह बाक्स मान्यता प्राप्त यूनियन के प्रतिनिधि के उपस्थिति में खोला जायेगा।
९. रिक्ती के अनुसार संबंधित कैंडर के रेल सेवक ही आवेदन कर सकते हैं।
१०. इसके लिये स्थानीय समाचार पत्रों में भी अधिसूचना जारी की जा रही है।
११. यह स्कीम १४-०९-२०१७ तक बंध होगी, तत्सम्बन्धी रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी अनुपालन किया जाएगा।
१२. आवेदन का प्रारूप संलग्न है।

अतः उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले दिनांक ३१-७-१७ तक सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी जो निर्माण संगठन में दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर कार्य करने के इच्छुक हैं, अपना आवेदन पत्र (सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र के साथ) दिनांक ०६-०९-२०१७ तक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/गोरखपुर को प्रेषित करेंगे।
संलग्नक/यथोपरि

(सुभाष चन्द्र)

सकाधि/निर्माण

कृते मुप्रअ/निर्माण/गोरखपुर

दिनांक १८-०८-१७

सं०.का/२२७/री.इंगेज/निर्माण संगठन/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- १-मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी, पूडरे, गोरखपुर-कृपया उक्त अधिसूचना को दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में अधिसूचित कराने की व्यवस्था करें।
- २-सर्चिव/मुप्रअ/निर्माण/गोरखपुर,
- ३-नोटिस बोर्ड, मुप्रअ/नि०/गोरखपुर
- ४-मुकाधि/पूडरे, गोरखपुर
- ५-महामंत्री/नरमू, अ.जा./अ.ज.जा./एशो.गोरखपुर
- ६-उमुई/नि०/पूर्व, मुख्य०, नियो० एवं अभि०, सामान्य, रेलपथ, पुल/गोरखपुर, वाराणसी-१, वाराणसी-११, लखनऊ, इज्जतनगर
- ७-मुसिदूई/नि०, उप मुसिदूई/नि०/गोरखपुर, मुख्यालय/गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, इज्जतनगर
- ८-उमुविई/नि०, उमुसाग्र/नि०, उप मु.परि०, प्र./नि०, कापाइ/नि०/सर्वे, कापायाइ/नि०/गोरखपुर
- ९-सकाधि/आई०टी०/पूर्वात्तर रेलवे, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त अधिसूचना को रेलवे के वेबसाईड पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

कृते मु०प्र०अ०/निर्माण/गोरखपुर

पूर्वोत्तर रेलवे –निर्माण संगठन (कार्मिक शाखा)

सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को दैनिक पारिश्रमिक आधार पर पुनर्नियोजन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।

1.	नाम:		नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो
2.	पिता का नाम:		
3.	जन्म तिथि:		
4.	सेवा निवृत्ति के समय पद:		
5.	आवेदित पद:		
6.	कार्यालय जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं:		
7.	सेवा निवृत्ति की तारीख:		
8.	वेतनमान एवं ग्रेड पे:		
9.	अंतिम मूल वेतन:		
10.	पेंशन की रकम :		
11.	पत्राचार का पता:		
12.	सम्पर्क नम्बर(मोबाईल):		
13.	संलग्नक हैं/ नहीं	1.सेवा प्रमाण पत्र	
		2.पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.)	
		3.अंतिम वेतन प्रमाण पत्र	
14.	किस शाखा में पुनर्नियोजित होना चाहेगे?		

मेरी जानकारी में ऊपर दिये गये सभी विवरण सही एवं सत्य है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पुनर्नियोजन के पश्चात रेलवे बोर्ड/मु0प्र0अ0/निर्माण/गोरखपुर के द्वारा समय- समय पर जारी होने वाले नियम एवं शर्तों का पालन करूंगा।

दिनांक

हस्ताक्षर-.....

पता-.....

नाम.....

मोबाइल नं0-.....